न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत मुख्यालय लिमडी दिनांक 18.5.2018

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

दायर दि0 24.8.2018

प्रकरण संख्या– 397/2016 राजस्व वाद

फैसल दि0 18.5.2018

केम्प लिमडी

1– मुकेश पिता लक्ष्मणलाल परमार जाति भील निवासी लिमडी

(वादी)

बनाम

1– नानू पिता पना कटारा जाति मीणा निवासी लिमडी

(प्रतिवादी)

वकील वादी– श्री हरिश पाटीदार

वकील प्रतिवादी– श्री मयंक दोसी

वाद अन्तर्गत धारा 183 ,188 बाबत स्थाई निषधाज्ञा एवं बेदखली

निर्णय

वादी के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी स्वामित्व व कब्जेयाबी खसरा भूमि मोजा लिमडी पटवार हल्का लिमडी के खाता संख्या 18/15 के खसरा नम्बर 1396/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सुखी है तथा वादी अपनी खातेदारी भूमि पर निर्विवाद रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है । यह मिक प्रतिवादी का वादी की भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । यह कि प्रतिवादी वादी की उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में अनाधिकृत रूप से घूसकर जबरन मकान निर्माण का कार्य करने लगा ,वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादी वादी से विवाद करने लगा और जमीन उसकी होना तथा कब्जा कर लेना एवं वादी को जान से मारने की धमकी देने लगा । यह कि प्रतिवादी द्वारा वादी के पिता से उक्त कृत्य कारीत करने पर वादी के पिता ने प्रतिवादी व उसके

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

वादी ने वाद के अन्त में मोजा लिमडी के खाता संख्या 18/15 में स्थित वादी के खातेदारी स्वामित्व के खसरा नम्बर 1396/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से प्रतिवादी को बेदखल करने एवं प्रतिवादी के विरुद्ध वादी को उनकी खसरा भूमि के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने न ही वादी के विवाद करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का निवेदन किया गया है ।

वादी द्वारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल जमाबन्दी ,नक्षा ट्रैस एंव पुलिस थाना सागवाडा की कार्यवाही की प्रतियां प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया ।

वकील प्रतिवादी को प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत करने अवसर प्रदान किया जाने की कार्यवाही के दौरान पत्रावली न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पंचायत मुख्याल लिमडी पर प्रस्तुत हुई ।

न्याय आपके द्वार शिविर के दौरान प्रतिवादी द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया है ।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की है एवं प्रतिवादी के द्वारा जबरन वादी की खातेदारी की भूमि पर मकान निर्माण का कार्य किया जाने से वादी प्रतिवादी को बेदखल कराने का अधिकारी है ।

अतः प्रतिवादी की ओर से वादी का वाद स्वीकार किया जाने से वाद वादी स्वीकार एवं प्रतिदावा खारीज किया जाकर प्रतिवादी को मोजा लिमडी के खाता संख्या 18/15 में स्थित वादी के खातेदारी स्वामित्व के खसरा नम्बर 1396/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा से बेदखल करने एवं प्रतिवादी के विरुद्ध वादी को उनकी खसरा भूमि के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने न ही वादी के विवाद करने स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है । डिकी पर्चा जारी हो । वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें ।पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 18.5.2018 को सुनाया गया ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
केम्प – लिमडी